प्रेस विज्ञप्ति
07.05.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06.05.2025 को सलीम खान जुम्माखान पठान और अन्य (वक्फ बोर्ड घोटाला मामला) के मामले में चल रही जांच के तहत अहमदाबाद में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिन्होंने दो वक्फ बोर्ड-पंजीकृत ट्रस्टों अर्थात "कांच की मस्जिद ट्रस्ट" और "शाह बड़ा कसम ट्रस्ट" के ट्रस्टी होने का दावा किया है।

ईडी ने पुलिस स्टेशन, गायकवाड़ हवेली, अहमदाबाद शहर, गुजरात द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

उन्होंने फर्जी लीज समझौते किए, किराएदारों से जबरन किराया वसूला और वक्फ बोर्ड को झूठे हलफनामे पेश किए। निजी लाभ के लिए अहमदाबाद नगर निगम और वक्फ बोर्ड के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश करते हुए, उन्होंने ट्रस्ट की जमीन पर दुकानें भी बनाईं और किराया वसूला । उन्होंने अवैध रूप से लगभग 150-200 घर और 25-30 दुकानें बनाईं और वक्फ बोर्ड द्वारा ट्रस्टी नियुक्त नहीं किए जाने के बावजूद किराएदारों से अवैध रूप से किराया वसूला। आरोपी व्यक्तियों द्वारा हर महीने किराया वसूला जाता था, लेकिन ट्रस्ट के खाते में जमा नहीं किया जाता था। इस तरह, ट्रस्ट के पैसे की हेराफेरी की गई और उक्त जमीन का दुरुपयोग किया गया, जो मूल रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए थी।

तलाशी अभियान के दौरान, **2 करोड़ रुपये (लगभग) के बैंक फंड को फ्रीज कर दिया गया, 30 लाख रुपये नकद जब्त किए गए और 7 लाख रुपये की क्रिप्टो मुद्रा फ्रीज की गई,** जो या तो आरोपियों और उनके सहयोगियों के स्वामित्व में है या उनके नियंत्रण में है, जिन्होंने अपराध की संदिग्ध आय को जमा कर रखा है। इसके अलावा, कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।